

कोच्ची में 26 जून 2025 को हाईब्रिड मोड पर आयोजित 96 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड के 96 वीं बैठक 26 जून 2025 को कोच्ची में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री संगीता विश्वनाथन की अध्यक्षता में बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई।

वर्तमान में बोर्ड के 15 सदस्यों में से निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. सुश्री संगीता विश्वनाथन - अध्यक्ष
2. श्री एस के सत्यनारायण - उपाध्यक्ष
3. सुश्री पी हेमलता, आईएएस - सचिव (प्रभारी), सदस्य
4. सुश्री एस जोतिमणि - संसद सदस्य (लोक सभा), सदस्य
5. श्री एस तिरुमुरुगन - सदस्य
6. डॉ आर दिनेश - निदेशक, आईसीएआर-आईआईएसआर, सदस्य
7. डॉ वनलालरामसांगा, आईईएस - आर्थिक सलाहकार, एमओसी, सदस्य
8. सुश्री अनुराधा बटना- वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग, नामित सदस्य (ऑनलाइन)
9. श्री गोविंद राम - उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नामित सदस्य
10. श्री गौतम घोष - सदस्य (ऑनलाइन)
11. श्री अक्कीसेती बाबू राव - सदस्य
12. श्री चंद्रशेखर सिंह रेघुवंशी - सदस्य (ऑनलाइन)

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निम्नलिखित निदेशक अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुए:

1. डॉ ए आर रेमा श्री - निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त प्रभारी)
2. श्री बी एन झा - निदेशक (विपणन प्रभारी)
3. श्री जिजेश टी दास - निदेशक (प्रशासन प्रभारी)
4. श्री धर्मेंद्र दास - निदेशक (विकास प्रभारी)

मद संख्या 1 : दिनांक 29.06.2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हाईब्रिड मोड में आयोजित 95 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

बोर्ड ने 29 जून 2024 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित 95 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त प्रसारित होने पर पुष्टि की गई।

मद संख्या 2 : कार्रवाई रिपोर्ट

2.1 स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में अग्रिशमन प्रणालियों का पुनरुद्धार:

निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में अग्रिशमन प्रणालियों के नवीनीकरण हेतु कार्य आदेश सीपीडब्ल्यूडी, विजयवाड़ा को जारी कर दिया गया है और स्थापना कार्य पूरा हो चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया एवं अग्रिशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रतीक्षा है।

2.2 स्पाइसेस बोर्ड से लाइसेंस के बिना नीलामी का संचालन:

निदेशक (विपणन) ने बताया कि बोर्ड के अधिकारियों की एक टीम ने मेसर्स कार्डमम ऑकशन कॉम और मेसर्स इलायचीरॉयल प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों का आंतरिक निरीक्षण किया था। मेसर्स कार्डमम ऑकशन कॉम के मामले में, इलायची (लाइसेंसिंग एवं विपणन) नियम, 1987 के उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब के प्रतीक्षा है। मेसर्स इलायचीरॉयल प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में किए गए निरीक्षण और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि फर्म इलायची की नीलामी कर रही है।

2.3 आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से इलायची नीलामियों के लिए निगरानी तंत्र :

निदेशक (विपणन) ने बताया कि बोर्ड ने दस्तावेजीकरण और भुगतान अनुपालन को सत्यापित करने के लिए नीलामियों के कार्यालयों, गोदामों और पूलिंग केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

मेसर्स स्पाइसेस मोर ट्रेडिंग कंपनी और मेसर्स कोको स्पाइसेस के परिसरों का निरीक्षण किया गया। समिति ने पाया कि मेसर्स स्पाइसेस मोर ट्रेडिंग कंपनी ने इलायची लाइसेंसिंग एवं विपणन (सीएलएम) नियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाया गया। तदनुसार, बोर्ड द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है।

मेसर्स कोको स्पाइसेस के मामले में, फर्म के प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक के विदेश में होने का हवाला देते हुए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। कुछ महीनों बाद किए गए अनुवर्ती निरीक्षण के दौरान भी यही उत्तर प्राप्त हुआ। फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब की प्रतीक्षा है। सीएलएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3. मसाला पार्कों के संचालन की स्थिति: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि पिछली बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसार, सभी मसाला पार्कों का दौरा करने और उनके प्रदर्शन, चुनौतियों और परिचालन व्यवहार्यता/दक्षता का आकलन करने के लिए निफ्टम या नैबकॉन जैसी किसी सक्षम एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मुल्यांकन में आउटसोर्सिंग, ठेका या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसे वैकल्पिक परिचालन मॉडल तलाशे जाएंगे, और चयनित एजेंसी से बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

तदनुसार, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों, बोर्ड के अधिकारियों और आईआईपीएम के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। समिति ने तीन दौर की बैठकें की हैं और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, एक सक्षम एजेंसी के चयन हेतु संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया है।

4. सिविकम में मसाला कॉम्पेक्स की स्थापना की स्थिति: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि, सीपीडब्ल्यूडी, गंगटोक से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार, तार बाड़, गेट, सुरक्षा दीवार और संबंधित विद्युत कार्यों का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक भवन, कोर प्रोसेसिंग यूनिट और बायो-एजेंट उत्पादन यूनिट सहित लगभग 24% सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड द्वारा जारी कुल 11.77 करोड़ रुपये के बजट में से अब तक 2.74 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष 19.02 करोड़ रुपये सीपीडब्ल्यूडी के पास आगे की प्रगति के लिए उपलब्ध हैं।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत पीईआरटी चार्ट के अनुसार, निर्माण कार्य नवंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस मामले को आगे विचार-विमर्श के लिए एजेंडा मद संख्या 5 के अंतर्गत नोट के रूप में भी रखा गया है।

5. पिछले वर्षों की तुलना में 2024-25 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात: निदेशक (विपणन) ने भारत से मूल्यवर्धित मिर्च उत्पादों के निर्यात प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो 2020-21 से 2024-25 की अवधि में सकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2024-25 के दौरान, भारत से कुटी/पिसी हुई मिर्च का कुल निर्यात मूल्य 2,485.38 करोड़ रुपये था, जबकि 2020-21 में यह 1,635.45 करोड़ रुपये था, जो 58% की वृद्धि दर्शाता है। कुटी/पिसी हुई मिर्च के प्रमुख निर्यात गंतव्य थे: अमेरिका - 33%, यूई 8%, यूके 7%, सऊदी अरब सहित अन्य देश, आदि।

इसी प्रकार, 2024-25 के दौरान भारत से कैप्सिकम ओलियोरेसिन का निर्यात 1,285.81 करोड़ रुपये रहा, जो 2020-21 में 867.30 करोड़ रुपये से 48% अधिक है। मुख्य गंतव्य थे: अमेरिका - 24%, दक्षिण कोरिया 13%, इंडोनेशिया 8%, चीन 5%, अन्य देश। इसके अलावा, निदेशक ने बताया कि 2020-21 से मेक्सिको को साबुत मिर्च के निर्यात में वृद्धि का रुझान देखा गया है। इस विषय पर एक विस्तृत नोट बोर्ड के संदर्भ के लिए अनुलग्नक-III(a) के रूप में संलग्न है।

5.1 निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि कापरा बीटल का पता चलने के कारण 2017-18 के दौरान मेक्सिको को मिर्च के निर्यात में उल्लेखनीय कमी आई थी। परिणामस्वरूप, मैक्सिकन अधिकारियों ने 24 अप्रैल 2017 से भारत से मिर्च के आयात पर कड़े आयात मानदंड लागू कर दिए। परिणामस्वरूप, 2018-19 के दौरान मेक्सिको को मिर्च का कोई निर्यात नहीं हुआ।

हालांकि, फाइटोसैनिटरी संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों के बाद, निर्यात फिर से शुरू हो गया और 2019-20 से इसमें वृद्धि का रुझान देखा गया है, जो 15.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। वर्तमान में, भारत मेक्सिको को सालाना लगभग 2300 से 5500 मीट्रिक टन मिर्च का निर्यात करता है।

स्पाइसेस बोर्ड ने सक्रिय कदम उठाते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीपीपीक्यूएंडएस को एक पत्र भेजकर मैक्सिकन अधिकारियों द्वारा साझा की गई कार्य योजना और प्रक्रियात्मक ढाँचा तैयार करने का अनुरोध किया है। इसके जवाब में, डीपीपीक्यूएंडएस ने प्रस्तावित कार्य योजना पर अपनी टिप्पणियाँ साझा की हैं और मैक्सिको स्थित भारतीय दूतावास को भी इसकी सूचना दी है।

हालांकि, दूतावास ने इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियाँ व्यक्त करते हुए कहा है कि यह एक गैर-व्यावहारिक दृष्टिकोण है, विशेषकर तब जब मेक्सिको को निर्यात पहले से ही मैक्सिकन अधिकारियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण में हो रहा है।

स्पाइसेस बोर्ड, मैक्सिकन नियामक प्राधिकारियों के साथ औपचारिक वार्ता में शामिल होने से पहले पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और व्यावहारिक समाधान पर पहुँचने के उद्देश्य से, दूसरे दौर की चर्चा शुरू करने के लिए डीपीपीक्यूएंडएस के साथ मिलकर काम कर रहा है।

15 मार्च 2024 को, बोर्ड ने पौध संरक्षण सलाहकार, पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय (पीपीक्यूएंडएस), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एनएच-IV, फरीदाबाद को एक डी.ओ. पत्र भेजकर मेक्सिको को मिर्च निर्यात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

5.2: निर्यात में एथिलीन ऑक्साइड (EtO) संबंधी मुद्दे: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि 2024-25 के दौरान भारत का मसाला निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टि से सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। इस अवधि के दौरान, भारत ने लगभग 17.99 लाख मेट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जिसका मूल्य 4.712.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-24 में 15.40 लाख मेट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात हुआ था, जिसका मूल्य 4,464.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार, मात्रा में 17% और मूल्य (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) में 6% की वृद्धि दर्ज की गई।

यह भी देखा गया कि अप्रैल 2025 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये के संदर्भ में निर्यात मूल्य में 12% और डॉलर के संदर्भ में 9% की वृद्धि हुई है। उपरोक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) अवशेषों की समस्या के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और ईटीओ संबंधी चिंताओं का भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे प्रमुख बाजारों में ईटीओ संबंधी समस्याओं के विशेष रूप से समाधान के लिए, मसाला बोर्ड ने इन गंतव्यों को निर्यात से पहले मसालों में ईटीओ के लिए अवशेष विश्लेषण करना अनिवार्य कर दिया है।

5.7:क. मेक्सिको को मिर्च के निर्यात में चुनौतियों का समाधान: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि मसाला बोर्ड ने डीपीपीक्यूएंडएस के परामर्श से मेक्सिको को मिर्च के निर्यात से संबंधित फाइटोसैनिटरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही शुरू कर दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने भारतीय निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय आयातकों के बीच सीधे संपर्क को सुगम बनाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएमएस) आयोजित की हैं, जिससे नियामक बाधाओं के बावजूद बाजार पहुंच और विश्वास में वृद्धि हुई है।

5.7: ख. 2030 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि चिंतन शिविर की सिफारिशों के आधार पर, मसाला बोर्ड ने 2030 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाला निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप विकसित करने के लिए रणनीतिक उपाय शुरू किए हैं।

वर्तमान में, कुल मसाला निर्यात का लगभग 50% मूल्यवर्धित उत्पाद हैं, जबकि शेष साबुत/कच्चे रूप में हैं। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- निर्यात योग्य अधिशेष सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकता बढ़ाना
- क्षेत्रीय ब्रांडिंग और विशिष्टता का लाभ उठाने के लिए जीएल-टैग वाले मसालों को बढ़ावा देना
- आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण अवसंरचना और पता लगाने की प्रणाली को मजबूत करना
- मसालों, सास और अन्य उच्च-स्तरीय प्रसंस्कृत मसाला उत्पादों के निर्यात सहित मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना
- मसाला ओलियोरेसिन और संगंध तेलों के निर्यात का विस्तार, जहां केरल निष्कर्षण और प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र है
- मेथॉल को बढ़ावा देना, जो एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पाद है, जो भारत के मसाला निर्यात में उल्लेखनीय योगदान देता है

बोर्ड वैश्विक मसाला व्यापार में सतत विकास और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए बाजार के रुझान, नियामक आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय मांग के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करना जारी रखता है।

उत्पाद नवप्रवर्तन के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता के संबंध में, सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार से बजटीय सहायता विशेष रूप से इलायची (छोटी और बड़ी दोनों) के लिए आवंटित की जाती है, क्योंकि मसाला बोर्ड का अधिदेश केवल इलायची के विकास और निर्यात संवर्धन को कवर करता है।

हालांकि, बोर्ड निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन मसाला-आधारित उत्पादों के विकास में संस्थानों और अन्य संगठनों की सहायता भी कर रहा है।

सुश्री एस. जोथिमनी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निदेशक (अनुसंधान) ने बताया कि बोर्ड के पास छोटी और बड़ी इलायची पर अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक समर्पित बजट आवंटन है, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्र परीक्षणों और अनुसंधान कार्यक्रमों के संचालन के लिए किया जाता है।

अन्य मसालों के लिए, अनुसंधान गतिविधियाँ आईसीएआर संस्थानों और अन्य विशिष्ट अनुसंधान संगठनों द्वारा की जाती हैं।

6. 2023-24 के दौरान भारत में मसालों का आयात: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि भारत में मसालों के आयात पर एक नोट संदर्भ के लिए अनुबंध 3 ख के रूप में संलग्न किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात से छोटी इलायची के बढ़ते आयात के संबंध में, यह रेखांकित किया गया कि भारत में छोटी इलायची का आयात मूल्य 11-12 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच था, जबकि भारत में घरेलू मूल्य लगभग 24-25 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम था। यह मूल्य अंतर इस तथ्य के कारण है कि ग्वाटेमाला में उत्पादित इलायची का आयात संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाता है और बाद में भारत को पुनः निर्यात किया जाता है।

70% आयात शुल्क के बावजूद, ग्वाटेमाला इलायची का भारत में आयात जारी है, क्योंकि इसकी कीमत कम है। भारत सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) ₹500 प्रति किलोग्राम तय किया है, और इस तरह के आयात अक्सर पुनर्निर्यात के उद्देश्य से अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत होते हैं।

निदेशक ने बताया कि मसाला बोर्ड घरेलू हितों की रक्षा के लिए संभावित उपायों हेतु डीजीएफटी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा, डीजीएफटी मूल्य संवर्धन और पुनर्निर्यात हेतु इलायची के लिए एएएस जारी करने से पहले मसाला बोर्ड से भी सुझाव मांग रहा है।

सदस्य श्री एस. थिरुमुरुगन ने बताया कि छोटी इलायची के आयात में वृद्धि घरेलू उत्पादन में किसी कमी के कारण नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ग्वाटेमाला में इलायची के लिए कोई सुव्यवस्थित अनुसंधान एवं विकास नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप औसत गुणवत्ता वाला उत्पादन होता है, हालाँकि यह आम तौर पर कीटनाशक-मुक्त होता है। इसके अलावा, ग्वाटेमाला में इलायची की घरेलू खपत नगण्य होने के कारण, इसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए उपलब्ध है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति पक्ष पर दबाव बढ़ रहा है।

संसद सदस्य सुश्री एस. जोथिमणि ने सुझाव दिया कि बोर्ड घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के व्यवहार्य क्षेत्रों में छोटी इलायची की खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए कदम उठाए। उन्होंने डिंडीगुल जिला प्रशासन के माध्यम से थडियानकुडिसाई में अनुसंधान केंद्र के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन में सहायता के लिए भी अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।

स्पाइसेस बोर्ड के सचिव ने सदस्यों को बताया कि भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने हाल ही में इलायची की एक नई किस्म विकसित और जारी की है, जो उच्च उपज देने वाली और जलवायु-प्रतिरोधी है, जिससे इलायची की खेती की स्थिरता और उत्पादकता में योगदान मिलेगा।

सदस्य श्री एस. थिरुमुरुगन ने इलायची उत्पादक क्षेत्रों में क्षेत्रीय कर्मचारियों की भारी कमी पर चिंता व्यक्त की, जिससे किसानों को कीटनाशकों के विवेकपूर्ण और सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के बोर्ड के प्रयासों में बाधा आ रही है। उन्होंने जिम्मेदार कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विस्तार सेवाओं को मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

7. जोखिम न्यूनीकरण, निकासी और निपटान तंत्र पर अध्ययन - कमोडिटी एक्सचेंज और एसईबीआई विनियम: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि मसाला बोर्ड द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जोखिम न्यूनीकरण उपाय के रूप में एस्करो खाता प्रणाली को लागू करने की संभावना सहित भुगतान निपटान के लिए वैकल्पिक तंत्रों पर चर्चा और अन्वेषण किया गया था।

बोर्ड फिलहाल इस मामले पर भागीदार बैंकों से औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा है। चर्चा के दौरान, एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों ने यह विचार व्यक्त किया कि जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में, बैंक गारंटी सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा विकल्प बनी हुई है।

बोर्ड कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों और जोखिम प्रबंधन, निकासी और निपटान प्रक्रियाओं से संबंधित एसईबीआई के नियामक दिशानिर्देशों की भी जांच कर रहा है, जिसमें बैंक गारंटी के विकल्प भी शामिल हैं।

7.4 क. ख और ग. व्यापारियों द्वारा नीलामकर्ताओं को भुगतान न करना और नीलामकर्ताओं द्वारा उत्पादकों को भुगतान न करना: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि एफपीओ श्रेणी के अंतर्गत नीलामकर्ताओं को किसी भी नीलामी में अपनी बैंक गारंटी (बीजी) राशि के 200% तक पूल/व्यापार करने की अनुमति देने के सुझाव का हितधारकों की बैठक में समर्थन नहीं किया गया। यह नोट किया गया कि अधिकांश नीलामकर्ता पहले से ही एफपीओ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इस तरह के प्रावधान का कार्यान्वयन संभव नहीं होगा। इसके अलावा, मौजूदा इलायची लाइसेंसिंग और विपणन (सीएलएम) नियमों में एफपीओ के लिए कोई अलग वर्गीकरण नहीं है, और इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।

नीलामकर्ताओं द्वारा किसानों को भुगतान में देरी के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में निदेशक (विपणन) ने बताया कि बोर्ड सीएलएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसानों से प्राप्त सभी लिखित शिकायतों का समाधान कर रहा है।

सदस्य श्री गोविंद राम द्वारा इलायची की नीलामी में भुगतान न होने और चूककर्ताओं के बारे में पूछे गए प्रश्न के संबंध में, निदेशक ने स्पष्ट किया कि बोर्ड को नीलामकर्ताओं या व्यापारियों द्वारा भुगतान न करने के संबंध में किसानों से कोई औपचारिक लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालाँकि, बोर्ड भुगतान तंत्र की निगरानी के लिए नीलामीकर्ताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, तथा सीएलएम प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

निदेशक ने आगे बताया कि बोर्ड इलायची की नीलामी से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए नियमित रूप से हितधारकों की बैठकें आयोजित करता है। इन चर्चाओं के दौरान, नीलामकर्ताओं और व्यापारियों ने इलायची व्यापार की उच्च लागत और संवेदनशील प्रकृति का हवाला देते हुए, उत्पादकों को भुगतान की अवधि को मौजूदा 10 दिनों से घटाकर 6 दिन करने की व्यावहारिक कठिनाई पर चिंता व्यक्त की।

सदस्य श्री गोविंद राम ने सुझाव दिया कि डीपीपीक्यू&एस के अधिकारियों को, जहां तक संभव हो, किसानों की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि डीपीपीक्यू&एस को कृषि विद्यालयों के लिए भी अधिदेश प्राप्त है।

संसद सदस्य सुश्री एस. जोथिमनी ने सुझाव दिया कि बोर्ड को इलायची किसानों का एक व्यापक डाटा बैंक विकसित करना चाहिए, ताकि हितधारक परामर्श और बैठकों में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

11.2 क, ख, ग. अनुमत सीमा से अधिक ईटीओ की उपस्थिति के कारण हांगकांग और सिंगापुर द्वारा मसालों को वापस मंगाया जाना: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि, 2024-25 के दौरान मसाला बोर्ड द्वारा लागू किए गए कड़े उपायों के कारण, एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) अवशेषों के कारण हांगकांग और सिंगापुर को निर्यात किए गए भारतीय मसालों को अस्वीकार या वापस नहीं मंगाया गया है।

बोर्ड ईटीओ मुद्दे के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों, विशेषकर प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम सक्रिय रूप से आयोजित कर रहा है।

किसानों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में निदेशक (विपणन) ने स्पष्ट किया कि ईटीओ जागरूकता कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रसंस्करणकर्ता स्तर पर लक्षित हैं, क्योंकि ईटीओ संदूषण आमतौर पर फसल कटाई के बाद के संचालन और प्रसंस्करण के दौरान होता है।

निदेशक (विकास) ने कहा कि बोर्ड किसानों के लिए वार्षिक गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खेत स्तर पर गुणवत्ता अनुपालन पर भी जोर दे रहा है, जिसका उद्देश्य मानकों, सुरक्षित प्रथाओं और बाजार अपेक्षाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

11.2.घ यू.के, यू.एस.ए और अन्य देशों की ओर निर्यात के लिए अनिवार्य परीक्षण: निदेशक (विपणन) ने बोर्ड को सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड ने यू.के, यू.एस.ए और अन्य और अन्य प्रमुख बाजारों जैसे देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य परीक्षण प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, जहां खाद्य सुरक्षा के कड़े नियम हैं।

इस पहल के एक भाग के रूप में, बोर्ड ने जीरे के निर्यात के लिए अनिवार्य कीटनाशक अवशेष परीक्षण को लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय अधिकतम अवशेष सीमाओं (एमआरएल) का अनुपालन सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजारों में भारतीय मसाला निर्यात की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।

मद संख्या 3: मसाला पार्कों के संचालन की स्थिति

निदेशक (विपणन) ने मसाला पार्कों में स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों और इकाइयों की स्थिति और उनके प्रदर्शन पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मसाला पार्कों में सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों द्वारा स्थापित इकाइयों में कुल 68,774.079 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया, जिसका मूल्य 89,951.69 लाख रुपये था। इसमें से 19,789.16 मीट्रिक टन मसाले/मसाला उत्पाद, जिनका मूल्य 35,326 लाख रुपये था, निर्यात किए गए या निर्यातकों को निर्यात के लिए आपूर्ति किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मसाला पार्कों के गोदामों में 26,261.76 लाख रुपये मूल्य के कुल 18,197.04 मीट्रिक टन मसाले संग्रहीत किए गए। इसके अलावा, मसाला पार्कों में कुल 1,717 कर्मचारी/मजदूर कार्यरत थे।

बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 4: मसाला पार्कों में भूमि आवंटन की वर्तमान स्थिति

क) निदेशक (विपणन) ने आठ फसल-विशिष्ट मसाला पार्कों में भूमि आवंटन की स्थिति प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 94 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, बोर्ड ने विभिन्न मसाला पार्कों में 21 प्लॉट को रद्द कर दिया है। प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, बोर्ड ने संबंधित राज्यों में प्रचलित नियमों के अनुसार रद्द किए गए भूखंडों पर कब्जा लेने की प्रक्रियाओं का विवरण एकत्र किया।

ख) निदेशक (विपणन) ने आगे बताया कि, प्लॉट आवंटन के संबंध में 95 वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के आधार पर, जहां निर्यातकों ने निर्माण पूरा किए बिना प्लॉट पंजीकृत और रखे हुए थे, बोर्ड ने सचिव को कानूनी राय के परामर्श से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने और अगली बोर्ड बैठक से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था।

सांसद सदस्य सुश्री जोतिमणि ने शिवगंगा मसाला पार्क में बड़ी संख्या में भूखंडों के पीछे के कारणों के बारे में एक प्रश्न उठाया, जहां निर्माण शुरू नहीं हुआ था। सचिव ने स्पष्ट किया कि निर्माण में देरी मुख्य रूप से 2011 से

जारी मंजूरी के मुद्दों के कारण थी, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना। सचिव ने उल्लेख किया कि पार्क में अपनी हालिया यात्रा के दौरान, उन्होंने पाया कि आवश्यक मंजूरी हासिल करने के बाद लगभग चार साल पहले कुछ निर्माण शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड निर्यातकों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, जब आवश्यक हो, जिला प्रशासन के साथ समन्वय भी किया है। कुछ भूखंड मालिकों ने विभिन्न लाइसेंस हासिल करने में कानूनी जटिलताओं का हवाला दिया था, जिन्हें अब संबोधित किया जा रहा है।

संसद सदस्य ने सुझाव दिया कि यदि किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो तो बोर्ड तमिलनाडु के स्थानीय मंत्री से संपर्क कर सकता है।

अध्यक्ष ने स्पाइसेस पार्कों में प्लोट आवंटन की वर्तमान व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। जवाब में, निदेशक (विपणन) ने मौजूदा व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया और आवंटित प्लोटों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में बताया। प्लोट आवंटन की वर्तमान स्थिति भी प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण अनुबंध-VI में दिया गया है।

संसद सदस्य ने आगे पूछा कि क्या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्लोट आवंटित किए जा सकते हैं, खासकर तमिलनाडु में, जहाँ कई सक्रिय एफपीओ कार्यरत हैं। सचिव ने जवाब दिया कि बोर्ड एफपीओ को प्लोट आवंटन के लिए रुचि पत्र (ईओआई) जमा करने की अनुमति देता है, और कुछ प्लोट पहले ही एफपीओ को आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि आवंटन के नियमों और शर्तों को संशोधित किया जाएगा और भविष्य में होने वाली ईओआई में उन्हें और अधिक उदार बनाया जाएगा ताकि मसाला पार्कों में प्लोटों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सचिव ने यह भी बताया कि नियमित निगरानी तंत्र के माध्यम से मसाला पार्कों में अधिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बोर्ड ने मसाला पार्कों में भूमि के आवंटन और उपयोग में प्रगति की निगरानी के लिए छह महीने के विस्तार को मंजूरी दी।

मद संख्या 5: सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए किया गया व्यय

बोर्ड ने सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया।

मद संख्या 6: 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

निदेशक (विपणन) ने 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान मसालों के निर्यात प्रदर्शन को प्रस्तुत किया।

बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 7: ई-नीलामी केंद्र, बोडिनायकनूर के लिए कंप्यूटर, स्कैनर सहित प्रिंटर, हार्ड-डिस्क की खरीद

निदेशक (प्रशासन) ने बोर्ड को पुराने कंप्यूटरों के प्रतिस्थापन के लिए 69 कंप्यूटरों की खरीद और बैकअप उद्देश्य के लिए 11 अतिरिक्त कंप्यूटर, स्कैनर के साथ एक प्रिंटर और बोडिनायकनूर में ई-नीलामी केंद्र के लिए 2 टीबी स्टोरेज के साथ दो हार्ड डिस्क के प्रस्ताव पर जानकारी दी। डॉ वनलालरामसांगा, सदस्य ने आईटी उपकरणों की खरीद के लिए आईटी खरीद दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। निदेशक (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कंप्यूटर नौ साल से अधिक पुराने हैं, और 40% की मूल्यहास दर

के साथ, उनका बही मूल्य अब लगभग नगण्य है। उनकी उम्र, पुराने विनिर्देशों और न्यूनतम अवशिष्ट मूल्य को देखते हुए, वर्तमान सॉफ्टवेयर और परिचालन आवश्यकताओं के लिए निरंतर दक्षता और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिस्थापन पर विचार करना उचित होगा।

बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मद संख्या 8: वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखा

बोर्ड के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों का, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, चेनल द्वारा लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वार्षिक लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को समय पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रशासनिक असुविधाओं के कारण वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के समय बोर्ड की बैठक नहीं हो सकी, इसलिए इसे समय पर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों की जांच की और इस संबंध में की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

मद संख्या 9: वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखा

वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने लंबित ऑडिट पैरा और उन्हें सुधारने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहा। निदेशक वित्त ने बताया कि पिछले वर्षों से चले आ रहे कुछ लंबित अग्रिमों का समाधान कर दिया गया है और चालू वर्ष के लेखों में उनका निपटान कर दिया गया है। सचिव ने बोर्ड को सूचित किया कि कुछ अग्रिम लंबे समय से लंबित हैं और उन्हें अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाए बिना उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। बोर्ड के सदस्य श्री गोविंद राम ने बताया कि ऑडिट में यह पाया गया है कि आंतरिक ऑडिट नहीं हुआ है। निदेशक वित्त ने बोर्ड को सूचित किया कि ऑडिट विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी बोर्ड के कार्यालयों का समय पर आंतरिक ऑडिट करने में बाधा है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों को मंजूरी दे दी गई।

मद संख्या 10: मसाला बोर्ड के क्यूईएल द्वारा विश्लेषित माल के नमूनों की स्थिति

निदेशक (अनुसंधान) ने बोर्ड को मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएलएस) द्वारा विश्लेषित माल के नमूनों की स्थिति से अवगत कराया। अध्यक्ष ने आईसीआरआई, मायलाडुम्पारा में स्थापित प्रयोगशाला में मापदंडों के परीक्षण की किसानों की मांग के बारे में पूछताछ की। जवाब में, निदेशक (अनुसंधान) ने बताया कि बोर्ड की अन्य आठ क्यूईएलएस की तरह, आईसीआरआई प्रयोगशाला एनएबीएल-मान्यता प्राप्त सुविधा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने आईसीआरआई माइलाडुम्पारा प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दिया। निदेशक (अनुसंधान) ने उत्तर दिया कि बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण, इस प्रक्रिया का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होगा और आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की भर्ती का मामला वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा।

संसद सदस्य सुश्री जोथिमणि ने क्यूईएलएस के माध्यम से राजस्व सृजन के बारे में पूछताछ की। निदेशक (अनुसंधान) ने स्पष्ट किया कि बोर्ड गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएलएस) के परिचालन व्यय के एक हिस्से को पूरा करने के लिए शुल्क के आधार पर अनिवार्य मसाला परीक्षण करता है। हालांकि, मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचे जैसे अन्य घटकों को पूरा करने के लिए मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी जाती है।

मद संख्या 11: मसाला बोर्ड की योजना 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड)' के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन

निदेशक (वित्त) ने ₹153.81 करोड़ के संशोधित अनुमान (आरई) के आवंटन की प्रत्याशा में, ₹130.00 करोड़ और ₹153.81 करोड़ के लिए तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के बारे में बोर्ड को जानकारी दी। विवरण अनुलग्नक-X में दिया गया है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 12: केरा परियोजना- केरल जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण (केरा)

निदेशक (विकास) ने केरल जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण (केरा) परियोजना का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इसके प्रमुख उद्देश्यों, बजटीय परिव्यय, मसाला बोर्ड की भूमिका, कार्यान्वयन की विधि और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया।

अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कोई बजट निर्धारित किया गया है। निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त) ने स्पष्ट किया कि मसाला बोर्ड इस परियोजना में एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है और बोर्ड पर इसका कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि यह परियोजना एक सराहनीय पहल है और केरल में इलायची उत्पादकों के लाभ के लिए एक आदर्श सहयोगात्मक प्रयास है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 13: प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता की वार्षिक उपलब्धि निर्यात विकास (स्पाइस्ड) - विकास कार्यक्रम

निदेशक (विकास) ने बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित घटकों के बारे में जानकारी दी।

बोर्ड ने नोट किया

मद संख्या 14: नई छोटी इलायची किस्म (आईसीआरआई-10) को 'आईसीआरआई सुगंध भारती' के रूप में जारी किया गया

निदेशक (अनुसंधान) ने बोर्ड को छोटी इलायची की एक नई किस्म (आईसीआरआई 10), जिसका नाम आईसीआरआई सुगंध भारती है, के विमोचन और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। आईसीआरआई-आईआईएसआर के निदेशक ने पूछा कि क्या इस किस्म को आईसीआर-एनबीपीजीआर और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) में पंजीकृत किया गया है। निदेशक (अनुसंधान) ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आईसीआर-एनबीपीजीआर और पीपीवी एंड एफआरए, दोनों को पहले ही जमा कर दिए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण के बाद किस्म के लाइसेंस के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी और आईसीआर-एआईसीआरपीएस के माध्यम से अखिल भारतीय गुणन परीक्षण आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

अध्यक्ष ने इडुक्की जिले में इस किस्म के प्रदर्शन के बारे में पूछताछ की। निदेशक (अनुसंधान) ने बताया कि किसानों के खेतों में गुणन परीक्षणों में, इस किस्म ने 3,000 किग्रा/हेक्टेयर की औसत उपज दर्ज की और आमतौर पर उगाई जाने वाली नजलानी किस्म की तुलना में बेहतर सूखा प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित की।

श्री थिरुमुगन ने किस्म की उत्पादकता की सराहना की तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली।

बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 15: मसाला बोर्ड में आरएफसीएस (संशोधित लचीली पूरक योजना) के कार्यान्वयन का प्रस्ताव

श्री गोविंद राम ने पूछा कि क्या प्रस्ताव और उसकी सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि समिति गठित की जाती है, तो उसे प्रस्तावित पदोन्नति प्रणाली के नियंत्रण और नियंत्रण पहलुओं की जाँच करनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट सिफारिशों सहित बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए।

सचिव ने ऐसी समिति के गठन के लिए लागू व्यय मानदंडों पर स्पष्टीकरण माँगा। जवाब में, श्री गोविंद राम ने कहा कि किसी भी नए ग्रेड को लागू करते समय, मुख्य बातों में कार्यात्मक आवश्यकताएँ, वित्तीय निहितार्थ और अपेक्षित परिणाम शामिल होते हैं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि किसी भी नए ग्रेड को लागू करने से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन किया जाना चाहिए।

सदस्य डॉ. वनलालरामसांगा ने कहा कि किसी विसंगति के अभाव में, इस स्तर पर समिति का गठन आवश्यक नहीं हो सकता है।

बोर्ड ने मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा मंत्रालय के निर्देशों के अधीन एक समिति के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

मद संख्या 16: स्पाइसेस बोर्ड को आउटसोर्स जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) को अनुबंध प्रदान करना

डॉ. वनलालरामसांगा ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर जनशक्ति एजेंसी का चयन करते समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में जीईएम को पत्र भेजने और जीईएम से सलाह लेने की सलाह दी।

सचिव ने बताया कि बोर्ड इस मामले को जीईएम के समक्ष उठाएगा।

निदेशक (प्रशासन) ने बोर्ड को सूचित किया कि मसाला बोर्ड कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों (वाँच एंड वार्ड, हाउसकीपिंग, माली, ड्राइवर, कार्यालय सहायक, केयरटेकर, आदि) में लगभग 172 आउटसोर्स कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।

उन्होंने GeM पोर्टल पर निविदाओं के माध्यम से मानव संसाधन एजेंसियों को नियुक्त करते समय पहले आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें एक ही स्थान पर कई सेवा प्रदाताओं के संचालन के कारण वैधानिक भुगतानों का गैर-अनुपालन और समन्वय संबंधी समस्याएं शामिल थीं।

इन मुद्दों के समाधान हेतु, बोर्ड ने भारत सरकार के मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के साथ 01.02.2022 से 31.01.2025 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए एक अनुबंध किया, जिसे एक वर्ष बढ़ाकर 31.01.2026 कर दिया गया है। बीईसीआईएल

संतोषजनक और निर्बाध जनशक्ति सेवाएँ प्रदान कर रहा है, समय पर वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

डॉ. वनलालरामसांगा ने पूछा कि क्या प्रारंभिक अनुबंध की तुलना में हालिया अनुबंध में कोई नियम और शर्तें बदली गई हैं। निदेशक (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि विस्तारित अनुबंध में नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। डॉ. वनलालरामसांगा और श्री गोविंद राम ने सलाह दी कि GeM को एक पत्र भेजा जाए, जिसमें विभिन्न स्थानों पर मानव संसाधन एजेंसियों को नियुक्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाए और इस मामले में उनकी सलाह लेने का सुझाव दिया जाए।

बोर्ड ने विवरण पर ध्यान दिया और 01.02.2022 से 31.01.2026 तक की अवधि के लिए मेसर्स बेसिल को अनुबंध प्रदान करने की पुष्टि की।

मद संख्या 17: तकनीकी त्यागपत्र पर अवकाश नकदीकरण भुगतान जारी करना

निदेशक (प्रशासन) ने बोर्ड को उन कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के मुद्दे पर जानकारी दी, जिन्होंने तकनीकी रूप से अन्य सरकारी या स्वायत्त निकायों में शामिल होने के लिए त्यागपत्र दे दिया है। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 39-डी और स्पाइसेस बोर्ड (सेवा) विनियम, 2021 के अनुसार, ऐसे कर्मचारी 300 दिनों तक के अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं। बोर्ड द्वारा इस प्रथा का निरंतर पालन किया जाता रहा है।

हालाँकि, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक द्वारा फरवरी 2023 में किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, स्वायत्त निकायों के बीच आवागमन से संबंधित मामलों में नियम 39-डी की प्रयोज्यता के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था। तदनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसी) से 12.06.2023 को स्पष्टीकरण मांगा गया था, और उत्तर की प्रतीक्षा है। इसके कारण, सात कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण का 26 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया है।

श्री गोविंद राम ने पूछा कि क्या बोर्ड ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से संपर्क किया है, क्योंकि ये विभाग ऐसे मामलों को देखते हैं। सचिव ने स्पष्ट किया कि बोर्ड आमतौर पर ऐसे पत्र-व्यवहार सीधे अन्य विभागों को लिखने के बजाय वाणिज्य विभाग के माध्यम से करता है।

डॉ. वनलालरामसांगा ने सलाह दी कि संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र भेजा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अवकाश नकदीकरण पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगता है, इसलिए इसकी तात्कालिकता मध्यम हो सकती है।

सचिव ने बोर्ड को सूचित किया कि यह मामला पुनः मंत्रालय को भेजा जाएगा तथा इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सलाहकार से भी सहायता ली जाएगी।

मद संख्या 18: स्पाइसेस बोर्ड की स्थानांतरण नीति

निदेशक (प्रशासन) ने बोर्ड को सूचित किया कि मसाला बोर्ड के युक्तिकरण और पुनर्गठन के बाद स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 513 से घटाकर 379 कर दी गई है। इसके मद्देनजर, तथा मौजूदा स्थानांतरण नीति से संबंधित अभ्यावेदनों, शिकायतों, आरटीआई अनुरोधों और अदालती मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, नई संगठनात्मक संरचना के अनुरूप नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

संशोधित स्थानांतरण नीति की समीक्षा और मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसे सचिव को सौंप दिया गया है। संशोधित नीति का उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और कम कार्यबल के साथ संरक्षण सुनिश्चित करना है (अनुलग्नक-XII)।

श्री गोविंद राम ने संशोधित नीति के विशिष्ट खंडों पर स्पष्टता मांगी। जवाब में, निदेशक (प्रशासन) ने आश्वासन दिया कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीति की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संबंधित दिशानिर्देशों के साथ जांच की जाएगी।

बोर्ड ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन अद्यतन स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 19: उपाध्यक्ष का चुनाव

बोर्ड ने सर्वसम्मति से श्री थिरुमुरुगन एस को एक वर्ष की अवधि के लिए स्पाइसेस बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना।

मद संख्या 20: स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 के नियम 11(2) और स्पाइसेस बोर्ड (बैठक) संशोधन नियम, 2018 के अनुसार स्थायी समितियों का पुनर्गठन

बोर्ड ने निर्णय लिया कि बोर्ड सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के बाद अगली बोर्ड बैठक में स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।